"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 97-द]   रायपुर, मंगलवार, दिनांक 23 अप्रैल 2002—वैशाख 3, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2002

क्रमांक 3058/21-अ/प्रारूपण/01.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 17-4-2002 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 13 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2002

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ. 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्रमांक 13 सन् 2002) है.

(2) यह अधिनियम राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

अनुसूची एक में संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) (इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की अनुसूची-एक में अनुक्रमांक 1 के सामने कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जायेगी :—

प्रविष्टियों 4, 14 (गन्ना को अपवर्जित करते हुए), 15 में विनिर्दिष्ट किया गया माल और प्रविष्टि 5 में विनिर्दिष्ट आटा, मैदा, सूजी और चोकर को छोड़कर वाणिज्यिक कर अधिनियम की अनुसूची-एक में निर्दिष्ट किया गया माल.

अनुसूची दो में संशोधन. 3. मूल अधिनियम की अनुसूची दो में,

(1) अनुक्रमांक 10 (ग) में, शब्द "और गुड़ाकू" विलोपित किए जाएंगे और प्रविष्टि 10 (ख) के बाद निम्न प्रविष्टि अंत: स्थापित की जाएगी :—

(ग)	गुड़ाखू	20

(2) अनुक्रमांक 22 एवं 27 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किये जायेंगे :—

22 (क)	तंबाकू युक्त पान मसाला जिस पर केन्द्रीय उत्पाद एवं तटकर अधिनियम, 1985 (क्रमांक 5 सन् 1986) के अंतर्गत अतिरिक्त आबकारी शुल्क उद्ग्रहणीय है या उद्ग्रहणीय योग्य है.	20
(ख)	पान मसाला जो प्रविष्टि (क) में सम्मिलित नहीं है.	1
27 (क)	फ्लाई एश ब्रिक्स	5
(ख)	फायर ब्रिक्स, फायर क्ले और फ्लाई-एश ब्रिक्स को छोड़कर ईंटें	1

(3) अनुक्रमांक 41 में कालम (2) में शब्द "उद्जनित वनस्पति तेल" लोप किये जायेंगे.

(4) अनुक्रमांक 41 के पश्चात् निम्न प्रविष्टि अंत:स्थापित की जायेगी,

41-ए	(एक)	उद्जनित वनस्पति तेल जो भारत में उत्पादित हो.	0.5
	(दो)	उद्जनित वनस्पति तेल जो भारत में उत्पादित न हो.	20

(5) अनुक्रमांक 58 के पश्चात् निम्न प्रविष्टि अंत: स्थापित की जायेगी,

59	आटा, मैदा, सूजी और चोकर	5

4. प्रमुख अधिनियम की अनुसूची तीन में, अनुसूची तीन में संशोधन.

(1) अनुक्रमांक 1 के कॉलम (2) में शब्दों ''और अनुसूची दो'' के स्थान पर शब्द, ''अनुसूची दो और इस अनुसूची की अन्य प्रविष्टि'' प्रतिस्थापित किए जाएंगे.

(2) प्रविष्टि 1 के बाद निम्न प्रविष्टि अंत: स्थापित की जाएगी :—

2.	केन बास्केट, ड्रिल रॉड तथा पी. वी. सी. केसिंग पाइप	10

रायपुर : **भारसाधक सदस्य**

दिनांक :

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2002

क्रमांक 3058/21-अ/प्रारूपण/01.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्र. 13 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ADHINIYAM
(No.13 of 2002)

CHHATTISGARH STHANIYA KSHETRA ME MAL KE PRAVESH PAR KAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2002

An Act further to amend the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows :—

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2002 (No. 13 of 2002).

(2) It shall come into force from the date of publication in the Gazette.

Amendment of Schedule I.

2. In Schedule I of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) (hereinafter referred to as the Principal Act), for the entry in column (2) against Serial No. 1, the following shall be substituted :—

Goods specified in Schedule I of the Vanijyik Kar Adhiniyam except the goods specified in entries 4, 14 (excluding sugarcane) 15 and Atta, Maida, Suji, wheat bran specified in entry 5.

Amendment of Schedule II.

3. In Schedule II of the Principal Act,

(1) in Serial number 10 (b), the words "and gudaku" shall be deleted and after entry 10 (b) following entry shall be inserted :—

(c)	Gudakhu	20

(2) for Serial Numbers 22 and 27 following shall be substituted :—

22	(a)	Pan Masala containing Tobacco on which additional excise duty is levied or leviable under the Central Excise Tariff Act, 1985 (No. 5 of 1986).	20
	(b)	Pan Masala not included in sub-entry (a)	1
27	(a)	Fly ash bricks	5
	(b)	Bricks excluding fly ash bricks fire bricks and fire clay.	1

(3) in Serial No. 41 in column (2) the words "Hydrogenated Vegetable oil" shall be omitted.

(4) after serial No. 41 following entry shall be inserted.

41-A	(i)	Hydrogenated vegetable oil manufactured in India.	0.5
	(ii)	Hydrogenated vegetable oil not manufactured in India.	20

(5) after serial No. 58 following entry shall be inserted

59	Atta, maida, suji and wheat bran	5

Amendment in Schedule III.

4. In Schedule III of the Principal Act.

(1) in column (2) of Serial number 1, for words "and Schedule II", the words, "Schedule II and other entry of this Schedule" shall be substituted.

(2) after entry 1 following entry shall be inserted :

2.	Cane basket, drill rod and P.V.C. Casing pipe.	10

Raipur :
Dated :

Member-in-charge.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.